सत्यमेव जयते

कट्डों (भैंस का नर बच्चा) बचाने एवं पालने हेतु केन्द्रीय क्षेत्र योजना–

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

उत्तराखण्ड क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून

113/2, राजपुर रोड, होटल सनराइज, देहरादून-248001 (उत्तराखण्ड)

कटडों (भैंस का नर बच्चा) बचाने एवं पालने हेतु केन्द्रीय क्षेत्र योजना-

हमारे देश में पशुपालक नर पशुओं को पालन लाभकारी नहीं समझते हैं तथा भैंस के दूध तथा अन्य चारा संसाधन बचाने हेतु उन्हें मार देते हैं जिससे प्रति वर्ष रू. 75 करोड की क्षति होती है। देश के विभिन्न भागों में कटडों की मृत्यु दर 42% से 88% के बीच है। अत: भारत सरकार ने 11वीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान कटडों को बचाने व पालने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर एक केन्द्रीय योजना की शुरूआत की है।

1. योजना का उद्देश्य -

क) कटडों को बचाना व पालना तथा उनके माँस व खाल का उपयोग करना।

ख) चर्म उद्योग के लिए कच्चे माल में वृद्धि, माँस और हड्डी, चर्बी, खाल, जैविक खाद आदि सह-उत्पादों की उपलब्धता में सुधार करना।

ग) पशुपालक किसानों तथा माँस चर्म उद्योग को जोडकर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढाना।

2. पात्रता - उत्पाकद कम्पनियाँ, साझेदारी फर्में, निगमें, गैर सरकारी संगठन, स्वयं सहायता समूह, संयुक्त देयता समूह, सहकारिताएँ, किसान तथा वैयक्तिक उद्यमकर्ता

वरीयता - अ.ज./अ.ज.जा., महिला लाभार्थी। वैयक्तिक यूनिटों में न्यूनतम 40% लाभार्थी इस श्रेणी के हों।

3. अनुदान -

विभिन्न गतिविधियों के लिए पूँजी अनुदान की सीमा निम्नानुसार हैं। बैंक स्थानीय स्थितियों के आधार पर अधिक्तम वित्तीय परिव्यय मंजूर करने के लिए स्वतंत्र है।

घटक	यूनिट आकार	निर्देशित यूनिट लागत	सहायता के प्रकार
(मॉडल-1) वैयक्तिक यूनिट किसान जिनके पास कटडे हैं	1-9 कटडे	प्रति कटडा रू. 6400/- (सघन चारा, दवाओं टीकाकरण और बीमा की लागत)	1. अल्पावधि ऋणी पर 100% ब्याज अनुदान 2. प्रति कटरा रू. 6400/- का अधिकतम अनुमेय अल्पावधि ऋण 3. कोई पूँजी अनुदान नहीं
(मॉडल-2) व्यावसिक यूनिट - जो कटडा खरीदेंगे	10-15 कटडे	प्रति 10 कटडों को पालने के लिए रू. 87000/- (खरीद, शेडों का निमार्ण, सांद्र चारा, दवाओं टिकाकरण और बीमा)	1. 10 कटडों की एक यूनिट के लिए पश्चदेय पूँजी अनुदान के रूप में लागत का 25% या अधिकतम रू. 21750/- 2. पर्वतीय क्षेत्रों में लागत का 33.33% या अधिकतम रू. 29000/- 3. कोई ब्याज अनुदान नहीं

(मॉडल-3) औद्योगिक यूनिट	1000 कटडे	1000 कटडों के पालन के लिए रू. 83.43 लाख (खरीद, शेडों का निमार्ण, सांद्र चारा, दवाओं टिकाकरण और बीमा)	1. पश्चदेय पूँजी अनुदान के रूप में लागत का 25%या अधिकतम रू. 20.86 लाख 2. पर्वतीय क्षेत्रों में लागत का 33.33% या अधिकतम रू. 27.81 लाख 3. कोई ब्याज अनुदान नहीं

4. परिव्यय के घटक -

क) लाभार्थी का अंशदान - व्यावसायिक यूनिटों के लिए परिव्यय का 10% (न्यूनतम) और औद्यौगिक यूनिटों के लिए परिव्यय का 25% (न्यूनतम)। भूमि लागत को प्रवर्तक के अंशदान का हिस्सा माना जा सकता है तथापि यह परियोजना लागत के 10% से अधिक नहीं होगी।

ख) अनुदान - यथाइंगित उच्चतम सीमा के आधीन पात्रता के अनुसार कुल परिव्यय का 25% या 33.33%

ख) बैंक ऋण - शेष अंश

5. ऋण सहबद्धता - योजना के अंतर्गत सहायता पात्र वित्तीय संस्थाओं द्वारा परियोजना की मंजूरी के आधीन तथा ऋण से सहबद्ध होगी। **पात्र वित्तीय संस्थाएं** - वाणिज्य बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक तथा अन्य संस्थाएँ जो नाबार्ड से पुनर्वित्त प्राप्त करने के पात्र हैं।

6. संवर्धनात्मक सहायता - राज्य स्तरीय कमेटी के अनुमोदन के पश्चात नाबार्ड के माध्यम से निम्न गतिविधियों के लिए निधि प्रदान की जाएगी-

घटक	यूनिट दर	निधि प्रकार	पात्र संगठन/एजेंसियाँ
किसानों और उद्यमियों को प्रशिक्षण (1 या 2 दिवसीय प्रशिक्षण को कमेटी द्वारा अंतिम रूप दिया जायेगा)	रू. 200 प्रति व्यक्ति	100% अनुदान	नाबार्ड के माध्यम से गैर सरकारी संगठन तथा प्रशिक्षण संस्थान

7. चुकौती अवधि - नकदी प्रवाह पर निर्भर, 01 वर्ष की छूट अवधि **वैयक्तिक यूनिटों के** लिए 01 वर्ष तथा व्यावसायिक यूनिटों के लिए 4-6 वर्षों के बीच होगी।

8. पूंजीगत अनुदान की मंजूरी तथा उसका जारीकरण - वैयक्तिक यूनिटों के मामले में बैंक ऋण मंजूरी के बाद नाबार्ड को 100% ब्याज अनुदान का दावा प्रेषित करेगें। व्यावसायिक यूनिटों के मामले में निम्न चरण होंगे-

क) लाभार्थी द्वारा परियोजना रिपोर्ट तैयार करवाकर वित्त पोषक बैंक को भेजना।

ख) परियोजना का आकलन तथा ऋण की मंजूरी के बाद बैंक द्वारा उनके नियंत्रक कार्यालय के माध्यम से प्रस्ताव नाबार्ड को भेजना।

ग) नाबार्ड द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय कमेटी की बैठक में प्रस्तावों का स्वीकृत होना।

घ) प्रधान कार्यालय से पुष्टि मिलने पर बैंको को अनुदान जारी किया जाना।

ख) अनुदान को सब्सीडी रिजर्व फंड खातों में अलग से रखा जाएगा जिसका समायोजन बैंक एन्डेड होगा तथा न्यूनतम 3 वर्ष की समयबंदी के साथ होगा तथा इस अंश पर कोई ब्याज नहीं लगेगा।

10. अन्य शर्तें -

1. परियोजना के अंतर्गत निर्मित अस्तियों का बीमा।
2. नाबार्ड के माध्यम से पशुपालन, डेरी और मत्स्य पालन विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार से सहायता प्राप्ति के साइन बोर्ड का यूनिट पर प्रदर्शन।

सहायता एवं सम्पर्क सूत्र-

जिला विकास प्रबंधक, नाबार्ड

1. **अल्मोडा व बागेश्वरए,** श्री बहादुर सिंह बिष्ट,
   फोन: 05962-233123, मो0: 9412093444
2. **हरिद्वार,** श्री हेमन्त कुमार तिवारी
   फोन: 01334-220330, मो0: 9412073002
3. **टिहरी गढ़वाल,** श्री ओ.पी. ढौन्डियाल
   फोन: 01376-232190, मो0: 9412076390
4. **पौडी गढ़वाल,** श्री एस. दास गुप्ता
   फोन: 01368-221970, मो0: 9411109889
5. **पिथौरागढ़,** श्री विकास भट्ट
   फोन: 05964-227660, मो0: 9412095933
6. **उत्तरकाशी,** श्री एस.सी. गर्ग
   फोन: 01374-224757, मो0: 9411103513
7. **ऊधम सिंह नगर,** श्री पुष्पहास पाण्डेय
   फोन: 05944-242620, मो0: 9412089620
8. **नैनीताल,** श्री जी. एस. चौधरी
   फोन: 05942-237257, मो0: 9412084752

नाबार्ड क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून

फोन: 0135-6601085 / 6601070 ईमेल: dehradun@nabard.org